

**संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा**  
**छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर**  
**द्वितीय तल, सेक्टर-27, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)**  
ई-मेल : E-mail: sanskriti.rajbhasha@gmail.com, दूरभाष:0771-2995629

//प्रेस विज्ञापित//

दिनांक 01.08.2023

**“मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना”**

राज्य की कला एवं संस्कृति परंपरा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंचल के विविध लोक कलाओं नृत्य संगीत, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ पाक कला, छत्तीसगढ़ सौन्दर्यकला के कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत् विकास, कलाकारों को यथोचित प्रोत्साहन/सम्मान/आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को मानक एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना” स्थापित किया गया है, जिसके लिए प्रविष्टियाँ निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित है।

1. प्रोत्साहन के लिए निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रविष्टियाँ पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

2. प्रोत्साहन का प्रकार :-


क्रमांक	प्रोत्साहन का प्रकार
1	नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार
2	वाद्ययंत्र वादक
3	शिल्प कलाकार
4	छत्तीसगढ़ पाक कला (छत्तीसगढ़ी व्यंजन)
5	छत्तीसगढ़ सौन्दर्यकला (श्रृंगार)

3. वांछित जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध किया जाना अनिवार्य है :-

क्र.	वांछित जानकारी का विवरण
A	कलाकार का नाम
B	विधा का नाम
C	वर्तमान पता, जिला एवं दूरभाष क्रमांक
D	संस्कृति विभाग अंतर्गत चिन्हारी पोर्टल का पंजीयन क्रमांक
E	विधा में कार्य अनुभव का वर्ष
F	प्राप्त पुरस्कार/सम्मान एवं उपलब्धियों का बिन्दुवार/वर्षवार जानकारी प्रमाण पत्र/पेपर कतरन/प्रशंसा पत्र/फोटो/वीडियो आदि (अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य सम्मान/प्रदेश स्तरीय/जिला स्तरीय/ग्राम स्तरीय)

4. आवेदन हेतु दिशा निर्देश :-

- चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य है एवं विधावार, निर्धारण वार्षिक प्रोत्साहन न्यूनतम राशि 12,000/- से अधिकतम राशि 24,000/- मात्र ई-पेमेंट के माध्यम से देय होगा।
- लाभान्वित होने वाले कलाकार जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय राशि रूपये 96,000/- से अधिक न हो।
- चयनित कलाकारों/दलों को वित्तीय वर्ष में 1 बार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी तथा आगामी 02 वर्षों के लिए अपात्र होंगे।
- प्रोत्साहन योजना से संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाईट WWW.cgculture.in पर भी देखी जा सकती है।
- प्रविष्टियाँ/प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25.09.2023 है तथा प्रविष्टियों के लिए लिफाफे में विषय “मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023” स्पष्ट अंकित किया जावे।
- समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों के संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

  
संचालक  
संस्कृति एवं राजभाषा

“मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023”

वेबसाईट [WWW.cgculture.in](http://WWW.cgculture.in)

//आवेदक का प्रारूप//

क्रमांक	प्रोत्साहन का प्रकार	चयनित विधा
1	नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार	
2	वाद्ययंत्र वादक	
3	शिल्प कलाकार	
4	छत्तीसगढ़ पाक कला (छत्तीसगढ़ी व्यंजन)	
5	छत्तीसगढ़ सौन्दर्यकला (श्रृंगार)	

क्र.	विवरण	वांछित जानकारी
1	कलाकार का नाम	
2	विधा का नाम	
3	वर्तमान पता, जिला एवं दूरभाष क्रमांक	
4	संस्कृति विभाग अंतर्गत चिन्हारी पोर्टल का पंजीयन क्रमांक	
5	विधा में कार्य अनुभव का वर्ष	
6	प्राप्त पुरस्कार/सम्मान एवं उपलब्धियों का बिन्दुवार /वर्षवार जानकारी प्रमाण पत्र/पेपर कतरन/प्रशंसा पत्र/फोटो/ वीडियो आदि (अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य सम्मान/प्रदेश स्तरीय/जिला स्तरीय/ग्राम स्तरीय)	
7	लाभान्वित होने वाले कलाकार जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय राशि रूपये 96,000/- से अधिक न हो।	
8	स्वयं का 02 नग फोटो पासपोर्ट साईज (वर्तमान में)	